22.5.17 पत्रावली कोर्ट केस नम्बर मामले 218-2017 केस स्थानीय के दिनांक 22.5.2017 को प्रस्तुत हुई। प्रकरण का निस्तारण किया जाकर निर्णय अलग से किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

राजस्व लोक अदालत : न्याय आपके द्वार – 2017
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा, केम्प कोर्ट – रूपाहेली
पीठासीन अधिकारी– राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :– 50/2017

1. पंकज पुत्र ओमप्रकाश ईनाणी, निवासी डॉ0 सतीन पाण्डे के सामने, भदादा बाग के पिछे भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाडा

–प्रार्थी

बनाम

1. बरदा पिता सोनाथ मीणा, निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. भोलु पिता बंशी नाई, निवासी अगरपुरा, तहसील व जिला भीलवाडा।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राज.अधि., 1956

निर्णय

दिनांक 22.05.2017

प्रार्थी के अधिवक्ता की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू–राज. अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 03.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम धूमडास पटवार हल्का रूपाहेली, भू–अभिलेख क्षैत्र सुवाणा तहसील व जिला भीलवाडा में खाता संख्या नया 124 व पुराना 106 में स्थित आराजी संख्या 210/02 रकबा 02–02 बीघा, कुल किता 01 कुल रकबा 02–02 बीघा कृषि भूमि स्थित है। उक्त आराजी के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें ।

प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित, बहस सुनी गई। विपक्षीगण उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गयी है। बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से निःसंदेह है कि प्रार्थी स्वंय के खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है, वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अभिलेख मे किसी प्रकार से परिवर्तन होने का अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार के अधिकार निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम धूमडास पटवार हल्का रूपाहेली, भू–अभिलेख क्षैत्र सुवाणा में खाता संख्या नया 124 व पुराना 106 में स्थित आराजी संख्या 210/02 रकबा 02–02 बीघा, कुल किता 01 कुल रकबा 02–02 बीघा भूमि की पत्थरगढी उक्त आराजी में फसल कट जाने के पश्चात 15 दिवस में उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर तामील करा उभय पक्षकरान की उपस्थिति में करा देंवे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील भीलवाडा में 300/– अक्षरे तीन सौ रूपये बतौर खर्चा सरकारी मद में राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/– रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार भीलवाडा विधिवत पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट भिजावे।

आदेश आज दिनांक 22.05.2017 को पृथक से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा